फर्द अहकाम

केलाश बनाम बाबूलाल व अन्य

म न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

स संख्या 27/2025

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी-1 की ओर से बावजूद प्राप्त रजि. नोटिस दिनांक 24/04/25 के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है अतः अप्रार्थी-1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 27/5/25 को पेश हो।	
		सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	27/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम मानपुरा माचेड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की अभिलिखित खातेदारी की भूमि की सीमाओं की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का मुकदमा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अन्यान्य अप्रार्थी द्वारा किन प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में अविधिक हस्तक्षेप न करने हेतु पाबन्द किया जाने का अनुतोष [illegible] गया है। जिसमें [illegible] को विधिवत नोटिस [illegible] गया है। जिसके क्रम में बावजूद प्राप्त रजिस्टर्ड नोटिस के अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.19 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम बाबूलाल

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 27/2025 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/3/25	भी प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही प्रार्थी वादी के प्रस्तुत अभिकथनों के सन्दर्भ में किसी प्रकार की कोई उक्त आपत्ति अथवा खण्डन ही प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी वादी की ओर से स्वयं की अभिलिखित एकलखातेदारी की भूमि के संदर्भ में अनुतोष चाहा गया है। जिससे अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अतः तथ्यों व दृष्टिगत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह बाड़े ग्राम मानपुरा मांचेड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि (वाद अधीन भूमि खसरा नं. 1382 रकबा 0.3800 है० की सीमाओं में किसी प्रकार की अविधिक दखलन्दाजी, बेदखलीकरण आदि ना करे तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की उक्त उल्लेखित भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे। हमने पक्षकारों की सुनी, तथ्यों का मनन किया [illegible] का गंभीरपूर्वक [illegible] के अवलोकन [illegible] से यह स्पष्ट है कि [illegible] स्वयं की अभिलिखित खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ व संदर्भ में वाद प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया गया है। जिससे अप्रार्थी का कोई P.T.O	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम बाबूलाल

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

संख्या 27/2025 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
27/3/25	सम्बन्ध सरोकार नहीं है ना ही अप्रार्थी की ओर से कोई उक्त आपत्ति अथवा खण्डन ही वादपत्र के तथ्यों व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायहित व वाद बहुलता के दृष्टिगत तथा किसी मान्य। उक्त आपत्ति के अभाव के आधार पर प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को तारीखला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह बाड़े ग्राम मानपुरा मांचेड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की खातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 1382 रकबा 0.3800 है. की सीमाओं में किसी प्रकार की अविधिक कार्यवाही, दखलन्दाजी आदि ना करे तथा मौके की यथास्थिति को बनाए रखे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली पेश हुआ। दोपहर दो नम्बर से कम है। बाद तकमील पावित्त पपत हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.19 10:35:23 IST
Reason: SelfAttested